

प्रार्थी

1. भंवरलाल
 2. हुक्माराम
 3. लिखमाराम,
 4. चुन्नीलाल
- R/o बेरासर
तहसील जायल


बनाम

अप्रार्थीगण

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर
2. प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट नागौर
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जायल।


किस्म मुकदमा विविध ~~संख्या~~ प्रार्थना पत्र संख्या43..... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तारीख में जारी हुए
02.12.19	<p>प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2019 डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9735/2018 भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य वगैरह में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 के सन्दर्भ में ग्राम बेरासर की आबादी भूमि में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2019 की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बेरासर, ग्राम पंचायत, पिन्डिया, तहसील जायल, जिला नागौर में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु खसरा नम्बर 140 रकबा 16 बिस्वा किस्म आबादी भूमि का प्रस्ताव ग्राम पंचायत पिन्डिया द्वारा लिया जा चुका है, लेकिन जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 05.07.2013 को खसरा संख्या 330 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.05 बीघा भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा विभाग को निशुल्क आवंटित की गई थी, लेकिन चिकित्सा विभाग ने जिला कलक्टर नागौर के आदेश की शर्तों के अनुसार आज तक आवंटित भूमि पर उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं किया तथा उक्त आवंटित भूमि गांव की आबादी भूमि में से खसरा संख्या 140 रकबा 16 बिस्वा भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपयुक्त है, जो अच्छी लोकेशन पर आई हुई है। खसरा नम्बर 330 गोचर भूमि होने के कारण उसमें आवंटित भूमि के बाबत पूर्व में भी ग्रामवासियों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 140 रकबा 16 बिस्वा जो आबादी भूमि में स्थित है, में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निवेदन किया है।</p> <p>मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9735/2018 भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य वगैरह में दिनांक 18.11.2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है—</p> <p>In this view of the matter, the writ petition is disposed of with the directions that the dispute, if any regarding the location of the Sub Health Center at Village-Beraser, Shall be resolved by the State Government within a period of one month from the date of this order. The necessary budget for the establishing the sub Health Center at Village-Beraser, shall be sanctioned within a period of one month thereafter and the constructions of the Sub Health Center at the appropriate palace, shall be completed within a period of six month thereafter.</p> <p>After completion of work within stipulated time frame as aforesaid, the compliance report shall be filed by the respondents before this court.</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु</p>	



2.12.19
कलकटर

ग्राम बेरासर के खसरा नम्बर 140 रकबा 16 बिस्वा किस्म आवादी भूमि में बनाये जाने का निवेदन किया है साथ ही उक्त संबंध में उक्त खसरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत पिन्डिया द्वारा ले लिया जाना अवगत कराया है। जबकि जिला कलेक्टर नागौर द्वारा दिनांक 05.07.2013 को खसरा संख्या 330 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.05 बीघा भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा विभाग को निशुल्क आवंटित की जाना बताया है। अतः प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करने की कार्यवाही करें एवं तदनुसार सभी संबंधित विभागों को सूचित किया जावे। विकास अधिकारी पंचायत समिति जायल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अविलम्ब प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर से सम्पर्क कर मा० न्यायालय के आदेशानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान चयन की कार्यवाही करावें। आदेश की प्रति एवं प्रार्थी के अभ्यावेदन, मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति था इस आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



जिला कलेक्टर, नागौर
कलेक्टर, नागौर

